

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओ.20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम रामगढ शेखावाटी कैम्प कोर्ट देवास  
व अलजाम श्रीमति रेणू मीणा (आर ए एस)

1. सन्नूखां पुत्र श्री नानूखां जाति कायमखानी निवासी ग्राम गोड़िया छोटा तहसील रामगढ-शेखावाटी जिला सीकर (राज0)।
2. गुलामूखां पुत्र श्री नानूखां जाति कायमखानी निवासी ग्राम गोड़िया छोटा तहसील रामगढ-शेखावाटी जिला सीकर (राज0)। .....वादीगण

बनाम

1. मकबूल खां पुत्र श्री नानूखां जाति कायमखानी निवासी ग्राम गोड़िया छोटा तहसील रामगढ-शेखावाटी जिला सीकर (राज0)।
2. अलीमोहम्मद खां श्री नानूखां जाति कायमखानी निवासी ग्राम गोड़िया छोटा तहसील रामगढ-शेखावाटी जिला सीकर (राज0)।
3. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर (राज0)
4. तहसीलदार (भूमिधाकर) रामगढ-शेखावाटी तहसील रामगढ-शेखावाटी जिला सीकर (राज0) .....प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा

मुकदमा नम्बर – 02/18 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमति रेणू मीणा (आर. ए. एस.) व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री भीमसिंह महला एवं मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर : अन्तिम डिक्री पारित की जाकर विवादित आराजी का रिक्ॉर्डेड खातेदारों के मध्य तहसीलदार रामगढ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है। विभाजन के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस डिक्री का भाग रहेगा।

| क्र. स. | खातेदार का नाम  | खसरा नम्बर | रकबा (हैक्टेयर में) | किस्म | लगान |
|---------|---|------------|---------------------|-------|------|
| 01      | मकबूल खां पुत्र नानू खां जाति कायमखानी सा. गोड़िया छोटा | 54 / 1     | 0.30                | बा3   | 0.90 |
| 02      | सन्नू खां पुत्र नानू खां जाति कायमखानी सा. गोड़िया      | 54 / 3     | 0.30                | बा3   | 0.90 |

|    |   |      |      |     |      |
|----|---|------|------|-----|------|
| 22 | गुलामू खां पुत्र नानू खां<br>जाति कायमखानी सा.<br>गोडिया छोटा | 54/4 | 0.30 | बा3 | 0.90 |
|----|---|------|------|-----|------|

तहसीलदार रामगढ शेखावाटी उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे।

निजी .....X..... मुबलिक .....X.....बाबत ..... X .....खर्चा  
इस मुकददमें का मय सूद वगेरह ..... X .....फीसदी सालाना आज की  
तारीख वसूलिया वितक..... X .....को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 11.06.2018 सन् 2018 को जारी किया  
गया।

मोहर

दस्तख्त .....  
ओहदा .....  
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2018  
ग्राम पंचायत.....

| मुद्दई               | रूपये | पैसे | मुद्दायलह            | रूपये | पैसे |
|----------------------|-------|------|----------------------|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा   | 02.00 | 00   | स्टाम्प अर्जी दावा   |       |      |
| स्टाम्प वकालत नामा   | 1.00  | 00   | स्टाम्प वकालत नामा   | 00.00 | 00   |
| स्टाम्प बजह सबूत     |       |      | स्टाम्प बजह सबूत     |       |      |
| महन्तनामा वकील       |       |      | महन्तनामा वकील       |       |      |
| खर्चा गवाहन          |       |      | खर्चा गवाहन          |       |      |
| फीस कमिश्नर          |       |      | फीस कमिश्नर          |       |      |
| बाबत इजराय हुक्मनामा |       |      | बाबत इजराय हुक्मनामा |       |      |
| मुतफरिक              | 06.00 | 00   | मुतफरिक              |       |      |
| मीशान                | 09.00 | 00   | मीजान                | 00.00 |      |

नोट:- इसी खर्चा फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया  
हो या नहीं दर्ज करना

.....  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ शेखावाटी (सीकर)  
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2018  
ग्राम पंचायत.....